


दिनांक-09.08.2016 को विभागीय पत्रांक- 7/ज01-108/07-297 दिनांक- 04.08.2016 के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्वीकृत एवं विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही पाईप जलापूर्ति योजना की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:-

1. श्री दिनेश्वर प्रसाद सिंह, अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लो0स्वा0अभि0वि0, बिहार, पटना।
2. श्री विरेन्द्र कुमार, मुख्य अभियंता (नागरिक), लो0स्वा0अभि0वि0, बिहार, पटना।
3. श्री निखिलेन्दु निखिल, मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, लो0स्वा0अभि0वि0, बिहार, पटना।
4. श्री अजय कुमार सिन्हा, विशेष पदाधिकारी, लो0स्वा0अभि0वि0, बिहार, पटना।
5. श्री रामचन्द्र पाण्डेय, कार्यपालक अभियंता, लो0स्वा0प्रमंडल, दरभंगा अंचल।
6. श्री संजय दूबे, अधीक्षण अभियंता, लो0स्वा0 अंचल, दरभंगा।
7. श्री देवेन्द्र प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, लो0स्वा0प्रमंडल, मोतिहारी।
8. श्री विनोद कुमार, अधीक्षण अभियंता, लो0स्वा0अंचल, मोतिहारी।
9. श्री भोगेन्द्र मिश्र, कार्यपालक अभियंता, लो0स्वा0प्रमंडल, बेतिया।
10. मो0 मंजूर नसीर, कार्यपालक अभियंता, लो0स्वा0प्रमंडल, लखीसराय।
11. श्री एन. एस. झा, कार्यपालक अभियंता, लो0स्वा0अभि0वि0, बिहार, पटना।

1. पुरानी बाजार जलापूर्ति योजना, लखीसराय:- इस योजना की स्वीकृति नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 408.749265 लाख रू0 की राशि पर ज्ञापांक-1237, दिनांक-17.05.2013 द्वारा दी गयी है। योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यादेश दिनांक- 25.09.2013 को निर्गत किया गया है तथा संवेदक द्वारा एकरारनामा दिनांक-15.10.2013 को किया गया है। एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि 15 माह है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इस योजना के दोनों जोन का सभी कार्य पूर्ण है, जलापूर्ति चालू है तथा योजना दिनांक-15.06.2016 से योजना ट्रायल रन में चल रही है। उन्हें



दिनांक-31.08.2016 तक योजना का Self Explanatory Completion Plan तैयार कर Check list के साथ नगर परिषद् को हस्तान्तरित करने का निर्देश दिया गया।

2. लखीसराय (काली पहाड़ी-लाल पहाड़ी) जलापूर्ति योजना:- इस योजना की स्वीकृति नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 350.36824 लाख रू0 की राशि पर ज्ञापांक-1238, दिनांक-17.05.2013 द्वारा दी गयी है। योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यादेश दिनांक- 25.09.2013 को निर्गत किया गया है तथा संवेदक द्वारा एकरारनामा दिनांक- 15.01.2013 को किया गया है। एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि 15 माह है।

- काली पहाड़ी-लाल पहाड़ी योजना अंतर्गत जलमीनार छोड़कर सभी कार्य पूर्ण होने की सूचना कार्यपालक अभियंता द्वारा दी गयी। उन्हें 1 सप्ताह के अंदर विद्युत संयोजन कराकर दिनांक- 15.09.2016 तक निश्चित रूप से सीधी जलापूर्ति प्रारम्भ करने का निर्देश दिया गया।
- अधीक्षण अभियंता सप्ताहिक स्तर पर तथा मुख्य अभियंता, पाक्षिक स्तर पर प्रगति की समीक्षा कर दिये गये निर्देशों को अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

3. दरभंगा जलापूर्ति योजना:- इस योजना का एकरारनामा दो फेज में किया गया है। फेज-I के लिए एकरारित राशि 855.25 लाख रू0 है, कार्यादेश की तिथि-30.03.2010 है तथा कार्य पूर्ण करने की अवधि 12 माह है। फेज-II के लिए एकरारित राशि 2284.09 लाख रू0 है, कार्यादेश की तिथि- 30.03.2010 है तथा कार्य पूर्ण करने की अवधि 12 माह है। फेज-I एवं फेज-II अंतर्गत योजना को 4 जोन में बाँटा गया है। फेज एवं जोन अनुसार योजना की प्रगति की समीक्षा एवं योजना पूर्ण करने हेतु दिये गये निर्देश निम्नवत् है:-

फेज-I

लक्ष्मीसागर जोन

कार्यपालक अभियंता द्वारा सूचित किया गया कि 17 लिकेज तथा 70 मी0 Misslink के अतिरिक्त शेष सभी कार्य पूर्ण है। कार्यपालक अभियंता को दिनांक-30.08.2016 तक इस जोन में लिकेज एवं Misslink का कार्य पूर्ण कराकर सुचारु रूप से जलापूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।



लाल बाग जोन

इस जोन में माह फरवरी 2016 से जलापूर्ति चालू होने की सूचना दी गयी।

राय साहब पोखड़ जोन

26 अदद स्टैण्ड पोस्ट के अतिरिक्त सभी कार्य पूर्ण होने की सूचना कार्यपालक अभियंता द्वारा दी गई जिसके विरुद्ध 24 अदद का स्थल संवेदक को उपलब्ध कराया जा चुका है। कार्यपालक अभियंता को दिनांक- 30.08.2016 तक सभी Standpost का निर्माण करवा कर जलापूर्ति चालू करने का निर्देश दिया गया।

मिल्लत कॉलेज जोन

कार्यपालक अभियंता द्वारा सूचित किया गया कि असफल बोरिंग के स्थान पर दिनांक-15.09.2016 तक नये बोरिंग का कार्य पूर्ण हो जाएगा एवं अबतक इस जोन अंतर्गत 13 अदद Standpost निर्मित किए गए हैं। उन्हें नये Pump house का निर्माण एवं शेष सभी कार्यों को दिनांक-15.09.2016 तक पूर्ण कर जलापूर्ति प्रारम्भ करने का निर्देश दिया गया।

फेज-II

समीक्षा के दौरान कार्यपालक अभियंता द्वारा चारों जोन यथा लहेरियासराय, सुन्दरपुर, लालबाग, बाकड़गंज में योजना के मुख्य अवयवों यथा T/W, Pump house, Rising main, वितरण प्रणाली, जलमीनार, पम्प मोटर एवं ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन का कार्य प्रवधानुसार पूर्ण कराने की सूचना दी गयी। समीक्षोपरान्त अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव द्वारा फेज-II के लिए निम्न निर्देश दिये गये:-

- फेज-II में चारों जोन के सभी शेष कार्यों को दिनांक-15.09.2016 तक पूर्ण करने का निर्देश।
- शेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु दैनिक आवश्यक कार्यबल की गणना कर संवेदक को सूचित करने का निर्देश।
- दैनिक स्तर पर संवेदक द्वारा लगाए गये कार्यबल एवं कृत कार्य की सूचना कार्यपालक अभियंता प्रतिदिन अधीक्षण अभियंता को उपलब्ध करायेंगे।



- अधीक्षण अभियंता सप्ताहिक स्तर पर कार्यों की समीक्षा कर ससमय सभी शेष कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित करायेगें।
- कार्यपालक अभियंता संवेदक के Price Variation/Neutralization Cost से संबंधित विपत्र का नियमानुसार सात दिनों के अन्दर भुगतान करेगें।

4. **मोतिहारी जलापूर्ति योजना:-** इस योजना अंतर्गत बेलीसराय, अगडवा, एम0 एस0 कॉलेज एवं बरियारपुर चार जोन है। उक्त चारों जोन में T/W, Pump house का निर्माण किया जा चुका है तथा Pump Motor एवं Transformer अधिष्ठापित किया जा चुका है। योजना में प्रावधानित 3 अदद जलमीनार के विरुद्ध बेलीसराय एवं बरियारपुर 1-1 जलमीनार का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा अगडवा छोड़कर सभी तीनों जोन में Rising main का कार्य भी पूर्ण है। अगडवा में जलमीनार के लिए उपयुक्त स्थल उपलब्ध नहीं है तथा कार्यपालक अभियंता द्वारा सूचित किया गया कि इस जोन में जलमीनार की आवश्यकता भी नहीं है।

उनके द्वारा बताया गया कि बेलीसराय जोन में 7080 मी0 के विरुद्ध 5720 मी0, अगडवा में 15120 मी0 के विरुद्ध 7956 मी0, एम0 एस0 कॉलेज 10550 मी0 के विरुद्ध 8013 मी0, तथा बरियारपुर में 5420 मी0 के विरुद्ध 5184 मी0 वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण किया गया है एवं कुल 409 अदद Standpost के विरुद्ध 114 अदद का निर्माण किया गया है।

- कार्यपालक अभियंता को दिनांक--31.08.2016 तक सभी शेष कार्य पूर्ण कर Self Explanatory Completion Plan तैयार कर Cheack list के साथ दिनांक--15.09.2016 तक नगर परिषद् को हस्तान्तरित करने का निर्देश दिया गया।
- अधीक्षण अभियंता साप्ताहिक स्तर पर एवं मुख्य अभियंता पाक्षिक स्तर पर प्रगति समीक्षा कर निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करायेगें।


5. **बेतिया जलापूर्ति योजना:-** इस योजना की स्वीकृति नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 1410.06619 लाख रू0 की राशि पर दिनांक-- 23.01.2013 को दी गई है तथा एकरारनामा की तिथि जोन 3 एवं 4 के लिए दिनांक-- 19.11.2015 तथा

जोन 1 एवं 5 कि लिए दिनांक-01.03.2016 है। एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि 12 माह है। इस योजना के विरुद्ध 695.00 लाख रू0 प्रमंडल को उपलब्ध है तथा अद्यतन व्यय 294.86 लाख रू0 है।

कार्यपालक अभियंता द्वारा सूचित किया गया कि भौतिक लक्ष्य 4 अदद नलकूप के विरुद्ध 3 अदद नलकूप का कार्य पूर्ण किया गया है तथा कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद् से बारम्बार अनुरोध के बावजूद भी जोन-1 के लिए स्थल उपलब्ध नहीं कराया गया है। कार्यपालक अभियंता को जिला पदाधिकारी से संपर्क/बैठक कर स्थल प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। योजना को ससमय पूर्ण करने हेतु निम्न निर्देश दिये गये-

- शेष आवंटन हेतु प्राप्त करने हेतु कार्रवाई करने का निर्देश।
- निर्मित नलकूपों के लिए एक सप्ताह के अंदर पम्प गृह निर्माण प्रारम्भ करने का निर्देश।
- निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करने हेतु 3 दिनों के अंदर Work Plan संवेदक से प्राप्त करने का निर्देश।
- Material Supply Schedule संवेदक से प्राप्त करने का निर्देश।

अधीक्षण अभियंता पाक्षिक स्तर पर प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा योजना का ससमय कार्यान्वयन सुनिश्चित करायेंगे।


(डी0 पी0 सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक-7/वि01-136/2014- 311

दिनांक- 24/8/2016

प्रतिलिपि-


1. प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र/भागलपुर प्रक्षेत्र लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ई-मेल द्वारा



3. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मोतिहारी/बेगूसराय/दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया/मोतिहारी/दरभंगा/लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. मुख्य अभियंता (ना०)/विशेष पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता (मो०/मू०)/आई० टी० मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई० टी० मैनेजर को निदेश है कि कार्यवाही की प्रति को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करें।


(डी० पी० सिंह)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव।